

## “गांधी दर्शन में ग्रामोद्धार के विचार”

रिंकूदास

असिस्टेंट प्रोफेसर

राजनीति विज्ञान

सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी0जी0) कॉलेज साहिया (देहरादून)

**सारांश** — महात्मा गांधी प्रख्यात राजनीतिज्ञ व समाज सुधारक एवं एक सच्चे कर्मयोगी व भविष्यद्रष्टा विचारक थे। महात्मा गांधी देश की समृद्धि का आँकलन गाँव की समृद्धि से करते हैं। जिससे गांधी दर्शन में ग्रामोद्धार का चिंतन स्पष्ट दिखाई देता है। महात्मा गांधी ग्रामोद्धार हेतु राजनीतिक विकेन्द्रीकरण व आर्थिक विकेन्द्रीकरण का विचार प्रस्तुत करते हैं। राजनीतिक विकेन्द्रीकरण द्वारा गांधी जी केन्द्रीकृत सत्ता का स्तानान्तरण गाँव-गाँव तक करके स्थानीय स्वायत्त शासन की नींव रखते हैं जिससे गाँव का राजनीतिक दृष्टि से उत्थान सम्भव हो सके। राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के साथ साथ महात्मा गांधी आर्थिक विकेन्द्रीकरण का भी विचार प्रकट करते हैं। आर्थिक विकेन्द्रीकरण से महात्मा गांधी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करके आम जनमानस के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयत्न करते हैं। महात्मा गांधी केन्द्रीकृत सत्ता के साथ-साथ केन्द्रीकृत उद्योगों को भी हिंसा का पर्याय मानते थे। इसलिए गांधी ने राजनीतिक व आर्थिक विकेन्द्रीकरण से ग्रामोद्धार का मार्ग प्रशस्त किया है। महात्मा गांधी को आधुनिक युग के असाधारण पुरुष, प्रगाढ़ देश प्रेमी, प्रख्यात राष्ट्रीय नेता एवं महान समाज सुधारक के छवि में देखा जाता है। गांधी जी न केवल प्रखर राजनीतिज्ञ थे बल्कि सच्चे कर्मयोगी भी थे। भारतीय राजनीतिज्ञ चिंतन में गांधी जी का योगदान स्तुत्य है साथ ही वैश्विक पटल पर भी उन्होंने अपने विचारों से अनूठी छाप छोड़ी है। यद्यपि महात्मा गांधी ने यह दावा कभी नहीं किया कि उन्होंने कोई नूतन सम्प्रदाय अथवा किसी वाद का प्रचलन शुरू किया है तथापि विद्वत वर्ग द्वारा उनके सिद्धान्तों एवं विचारों के समूह को गांधीवाद एवं गांधी दर्शन का नाम दिया गया है।

प्रस्तुत शोधपत्र में, गांधी दर्शन में विद्यमान उन विचारों का उल्लेख किया गया है, जिससे ग्रामोद्धार का मार्ग प्रशस्त होता है। महात्मा गांधी ने गाँव की समृद्धि के लिए विकेन्द्रीकरण आवश्यक माना है। विकेन्द्रीकरण के दोनों रूपों राजनीतिक विकेन्द्रीकरण व आर्थिक विकेन्द्रीकरण में गांधी जी का ग्रामीण चिंतन स्पष्ट दिखाई पड़ता है।

**मुख्य शब्द** — ग्रामोद्धार, ग्रामपंचायत, महासागरीय वृत्त, सर्वोदय, आर्थिक विकेन्द्रीकरण, न्यायसिता, कुठीर उद्योग।

गांधी दर्शन में ग्रामोद्धार के विचार निम्नवत् दृष्टिगोचर है—

**राजनीतिक विकेन्द्रीकरण** — महात्मा गांधी केन्द्रीकृत सत्ता को हिंसा का पर्याय मानते थे। उनका मानना था कि सत्ता के केन्द्रीकरण से व्यक्ति की स्वतन्त्रता अवस्द्ध होती है। समाज में हिंसा बढ़ती है। राज्य में शक्तियों का केन्द्रीकरण स्थानीय स्वशासन के अवसरों को समाप्त करता है। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने राजनीतिक विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता महसूस की। वे राजनीतिक विकेन्द्रीकरण से अपना आशय स्पष्ट करते हुए लिखते कि ग्रामों को अपनी पंचायतों के द्वारा अपने सब कार्यों के प्रबन्ध एवं प्रशासन की अधिकतम स्वतन्त्रता होनी चाहिए और राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों का उनके मामलों पर न्यूनतम नियन्त्रण होना चाहिए। सत्ता के केन्द्र को गाँव में स्थापित करने को ही महात्मा गांधी ने राजनीतिक विकेन्द्रीकरण कहा है। वे राजनीतिक विकेन्द्रीकरण को सफल बनाने हेतु निम्नलिखित विचार प्रस्तुत करते हैं —

**ग्राम स्वराज** — ग्राम स्वराज महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित एक सशक्त अवधारणा है, जिससे सत्ता का केन्द्र गाँव में ही स्थापित किया जा सके। महात्मा गांधी ने स्वराज को ग्राम स्वराज के आदर्श रूप में देखा है। महात्मा गांधी मानते थे कि देश की समृद्धि का आँकलन वहाँ के गाँव की समृद्धि से किया जाता है, इसलिए महात्मा गांधी गाँव को सशक्त बनाकर उसे राष्ट्र की समृद्धि का आधार बनाना चाहते हैं। ग्राम स्वराज से महात्मा गांधी का तात्पर्य यह था कि गाँव का प्रशासन केन्द्र से नहीं बल्कि लोगों के द्वारा स्वयं चलाया जाना चाहिए। इसके लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण नितान्त आवश्यक है। ग्रामीण जब स्वायत्त शासन स्थापित करने के लिए स्वतन्त्र होंगे ऐसी दशा में ही ग्रामोद्धार का स्वप्न साकार होता जाएगा। ग्रामीण जनता अपना प्रशासन स्वयं चला सके, इसके लिए प्रत्येक ग्राम समुदाय का प्रशासन जनता द्वारा चुने गये पाँच प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाएगा। जनता द्वारा चुने गये पाँच प्रतिनिधियों को पंच कहा जाएगा। इस प्रकार यह शासन व्यवस्था की प्रथम इकाई पंचायत कहलाएगी। ग्राम पंचायत को विधायी, कार्यकारी व न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होगी। पंचायत को ग्रामीण स्तर पर ही समस्याओं के समाधान की शक्तियाँ होगी जो किसी भी बाह्य नियन्त्रण से स्वतन्त्र होगी। महात्मा गांधी का मानना था कि ग्राम पंचायत राज्य के न्याय संबन्धी मामलों में व्यापक स्तर की कमी कर देगी। इस प्रकार महात्मा गांधी के इस ग्राम स्वराज में न्याय सस्ता, सुलभ एवं तीव्र गति से प्राप्त होगा। इस प्रकार गांधी जी ने ग्राम स्वराज का प्रशासनिक ढाँचा केंद्र के भाँति स्तूपीकार ढाँचा (Pyramidal Structure) न मानकर इसके स्थान पर प्रशासन का स्वरूप महासागरीय वृत्त (Oceanic circle) के सिद्धान्त पर आधारित होगा।

**महासागरीय वृत्त का सिद्धान्त** — महात्मा गांधी ने केन्द्र के उस स्तूपीकार ढाँचे की आलोचना की है जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था ऊँची—नीची श्रेणियों में विभक्त हो तथा एक के ऊपर एक अर्थात् तल पर शीर्ष टिका

हुआ है। महात्मा गांधी ने सत्ता का केन्द्र गांव में स्थापित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक नवीन सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जिसे महासागरीय वृत्त सिद्धान्त कहा जाता है। इस सिद्धान्त में महात्मा गांधी कहते हैं कि जिस प्रकार महासागर की धाराएँ केन्द्र से परिधि की ओर छोटे वृत्त से बड़े वृत्ताकार रूप में बढ़ती हुई जाती हैं ठीक वैसे ही इस शासन व्यवस्था में केन्द्र में व्यक्ति होगा वह अपने ग्राम के लिए सर्वस्व देने के लिए तैयार रहेगा। ग्राम, ग्रामों के समूह के लिए ताल्लुका जनपदों के लिए और जनपद प्रदेशों की उन्नति के लिए सदैव समर्पित रहेंगे।<sup>2</sup> इस प्रकार विकास कर यह कम नीचे से प्रारम्भ होगा। अर्थात् गाँव की समृद्धि से राष्ट्र की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। भिन्न-भिन्न स्तर पर यह प्रशासन परस्पर समन्वय स्थापित करके आगे बढ़ेगा। वाह्य परिधि की सत्ता भीतर की परिधि की सत्ता को दबाएगी नहीं वरन् स्वायत्त शासन करते हुए एक दूसरे की पूरक होंगी। महात्मा गांधी ने इसे पूर्ण गणतन्त्र का नाम दिया है। इसमें व्यक्ति स्वायत्त होगा। किन्तु एक दूसरे पर आश्रित होगा। प्रत्येक व्यक्ति परस्पर सहयोग की भावना से जुड़े रहेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने पड़ोसी के लिए बाधक नहीं बनेगा। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता व स्वतन्त्रता जैसे उच्च आदर्श सुरक्षित रहेंगे।

**‘सर्वोदय’ से ग्रामोदय** – महात्मा गांधी के विचार आपस में गुँथे हुए हैं। उनके विचार, एक दूसरे विचार के पूरक हैं। सर्वोदय की अवधारणा इसका जीवन्त उदाहरण है। उनके लिए वह श्रेष्ठ साध्य है जिसे वह ग्राम स्वराज, कल्याणकारी राज्य अहिंसात्मक समाज व न्यासिता के सिद्धान्त जैसे पवित्र साधनों से प्राप्त करना चाहते हैं। उनके सर्वोदय समाज में वर्तमान केन्द्रीकृत एवं विनाशकारी राज्य का कोई स्थान नहीं होगा। इस समाज में छोटे-छोटे स्वशासित एवं स्वपर्याप्त ग्राम होंगे, जो गणतन्त्रों के रूप में कार्य करेंगे।<sup>3</sup> महात्मा गांधी साम्यवादी विचारकों के भांति केवल निर्धन वर्ग के कल्याण के समर्थक नहीं हैं वह बेंथम के “अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख” की धारणा का भी समर्थन नहीं करते। महात्मा गांधी ने सर्वे भवन्तु सुखिनः के भारतीय आदर्श पर आधारित एवं रस्किन की प्रसिद्ध पुस्तक ‘unto this last’ से प्रेरित होकर अपनी सर्वोदय की अवधारणा प्रस्तुत की। इस प्रकार महात्मा गांधी ने अपने इस सर्वोदय में समाज के सभी वर्गों के उदय सबके कल्याण का चिंतन प्रस्तुत किया जिसमें अमीर-गरीब दोनों का कल्याण समाहित है।

**आर्थिक विकेन्द्रीकरण** – महात्मा गांधी ने जिस प्रकार सत्ता के विकेन्द्रीकरण से ग्रामोद्धार का मार्ग उज्ज्वल किया, उसी कड़ी में आर्थिक विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त भी प्रस्तुत किया। वे मानते थे कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक समानता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ आर्थिक विकेन्द्रीकरण स्थापित करने के लिए महात्मा गांधी ने अपने विचार प्रस्तुत किए। महात्मा गांधी शहरों के बड़े बड़े औद्योगिक कारखानों में हो रहे दरिद्र लोगों के शोषण से आहत थे। उन्होंने कामगारों

के इस शोषण को रोकने के लिए, कामगारों को ग्रामीण स्तर पर ही रोजगार की व्यवस्था करने में महात्मा गांधी का प्रयास लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना से किया। महात्मा गांधी केन्द्रीकृत उद्योगों का विरोध करते थे, क्योंकि वह दरिद्र कामगारों के शोषण पर टिके थे। महात्मा गांधी ने आर्थिक विकेन्द्रीकरण के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर ही लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। महात्मा गांधी ने ग्रामों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए आर्थिक विकेन्द्रीकरण का मार्ग अपनाया। महात्मा गांधी के प्रमुख आर्थिक विचार निम्नवत हैं जिससे ग्रामोद्धार का मार्ग प्रशस्त होता है—

**औद्योगीकरण का विरोध** — महात्मा गांधी केन्द्रीकृत औद्योगिक व्यवस्था के विरोधी थे। वह उद्योगों के विकेन्द्रीकरण के पक्षधर थे। इससे जहाँ एक ओर, गरीब मजदूरों का शोषण बंद होगा, वहीं दूसरी ओर भारतीयों को अपने गाँव का त्याग करके शहरों की ओर नहीं आना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने गाँव के विकास हेतु गाँव में ही लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया।

**लघु एवं कुटीर उद्योगों का समर्थन** — महात्मा गांधी इस बात से भिन्न थे कि भारत कृषि प्रधान देश है। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। वो विकास के क्रम को गाँव से प्रारंभ करना चाहते थे। महात्मा गांधी ने ऐसे समय कुटीर उद्योगों का विचार प्रस्तुत किया जब भारत स्वाधीनता के लिए संघर्षरत था। भारत के लिए स्वदेशी व आत्मनिर्भरता की इस समय बेहद आवश्यकता थी। महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं “मुझे याद नहीं पड़ता कि सन 1908 तक मैंने चरखा या करघा कहीं देखा हो। फिर भी मैंने हिन्द स्वराज में यह माना था कि चरखे के जरिए हिन्दुस्तान की कंगालियत मिट सकती है।”<sup>4</sup> महात्मा गांधी चरखे को भारतीय आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानते थे वे इससे आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त करके पूर्ण स्वराज की ओर बढ़ना चाहते थे।

**वर्ग सहयोग की अवधारणा** — वर्ग सहयोग की अवधारणा महात्मा गांधी के प्रमुख आर्थिक विचारों में से एक है। महात्मा गांधी के प्रमुख आर्थिक विचारों में से एक है। महात्मा गांधी ने कार्ल मार्क्स की वर्ग-संघर्ष की अवधारणा को अस्वीकार किया। उनका मानना है कि वर्ग संघर्ष गतिरोध की स्थिति पैदा करेगा जो हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देगा। वर्ग संघर्ष दोनों वर्गों पूंजीपति वर्ग व श्रामिक वर्ग के लिए अहितकारी है। इसलिए वे दोनों वर्गों के परस्पर सहयोग पर बल देते हुए कहते हैं, मैं किसी ऐसे समय की कल्पना नहीं करता हूँ जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अधिक धनी नहीं होगा। किन्तु मैं ऐसे समय की अवश्य कल्पना करता हूँ, जब धनवान निर्धनों का शोषण करके धनी बनने से घृणा करेंगे और निर्धन धनवानों से घृणा करना बन्द कर देंगे। महात्मा गांधी का विचार था कि वर्ग सहयोग दोनों वर्गों की उन्नति के लिए आवश्यक है। इस लिए वे वर्ग सहयोग से पूंजीपतियों व श्रमिकों के मध्य परस्पर सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे।

**न्यासिता का सिद्धान्त** – न्यासिता का सिद्धान्त, महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विकेन्द्रीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। वे आर्थिक विषमताओं के उन्मूलन के लिए साम्यवादी मार्ग न अपनाकर बल्कि इस दिशा में न्यासिता का सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं। यह सिद्धान्त लोगों का हृदय परिवर्तन कर उन्हें लोक कल्याण के मार्ग पर चलने की मांग करता है। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित इस न्यासिता सिद्धान्त का केन्द्रीय विचार यह है कि—धनी व्यक्तियों को यह बात समझायी जाएँ या वे स्वतः समझ जाएँ कि उनके पास जो धन सम्पत्ति है, वे उस सम्पत्ति के स्वामी नहीं बल्कि ट्रस्टी है। उन्हें उसमें से उतना ही भाग प्राप्त करें जितने भाग से उनकी आवश्यकता पूर्ण हो सके। शेष भाग का ट्रस्टी बनकर उसका संरक्षण करें, और समाज की धरोहर समझ कर उस सम्पत्ति को समाज कल्याण के लिए दान कर दें। उनके पास जो आवश्यकता से अधिक भूमि है उन्हें अपने विशाल हृदय का परिचय देते हुए उसे समाज के भूमिहीनों को दान कर देनी चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुसार धनी व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक जमीन, जायदाद, कारखाने एवं विविध प्रकार की सम्पत्ति का समाज के कल्याण के लिए प्रयोग करें।

**निष्कर्ष:** – महात्मा गांधी भविष्यद्रष्टा विचारक थे। उन्होंने अपने विचारों से भारत के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। महात्मा गांधी के राजनीतिक व आर्थिक चिंतक में ग्रामोद्धार के विचार अनुकरणीय हैं। उन्होंने अपने विचारों में ग्रामीण चिंतन को केन्द्र में रखा है। आर्थिक व राजनीतिक विकेन्द्रीकरण से जिस प्रकार उन्होंने गाँव के समृद्धि का मार्ग दिखाया है वह प्रशंसनीय है। सत्ता व केन्द्र गाँव में स्थापित कर, ग्राम पंचायतों के स्वायत्त प्रशासन से महात्मा गांधी वास्तविक गणतन्त्र की स्थापना करना चाहते हैं। आज के लोक-कल्याणकारी राज्य में उनके सर्वोदय की प्रासंगिकता यथावत् है। गाँव व देश की आर्थिकी सुदृढ़ बनाने के लिए जो लघु एवं कुटीर उद्योगों का मन्त्र उन्होंने दिया आज आत्मनिर्भर भारत के लिए वह मील का पत्थर सिद्ध हो रहा है।

**सन्दर्भ ग्रन्थ ÷**

1. अवस्थी, डॉ० ए० पी०, भारतीय राजनीतिज्ञ विचारक, पृष्ठ सं० 222, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल
2. गाबा, ओम प्रकाश, भारतीय राजनीति विचारक, पृष्ठ सं० 267, नेशनल पेपर बैक्स
3. अवस्थी, डॉ० ए० पी०, पूर्वोक्त, पृष्ठ सं० 239
4. गांधी, मोहनदास करमचन्द, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, पृष्ठ सं० 208, प्रभात पेपर बैक्स